प्रारूप नियम

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर, 1997

क्र. एफ. 23-35-95-पच्चीस-5-मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात-

नियम

1. संक्षिप्त नाम - इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग नियम, 1997 है।

2. परिभाषायें - इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995);

(ख) "सम्मिलन" से अभिप्रेत है आयोग का या आयोग की समिति का सम्मिलन तथा उसमें अन्य सम्मिलन भी सम्मिलित होंगे जिनमें आयोग के सदस्यों की उपस्थिति अपेक्षित है;

(ग) "निवास स्थान" से अभिप्रेत है वह स्थान जहां आयोग से संबंधित व्यक्ति प्राय: निवास करता है;

(घ) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।

3. आयोग का कार्यालय - आयोग का कार्यालय भोपाल में होगा।

4. वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधायें - आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार प्राप्त होंगी।

5. सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता - आयोग के सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजनों के लिए आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को परिशिष्ट "क" के अनुसार यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी :

परन्तु कोई सदस्य जो पहले से हों राज्य सरकार की सेवा में है तथा पदेन हैसियत में आयोग के सदस्य का पद धारण कर रहा है, सरकारी सेवा में वह अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।

6. आयोग से सहयुक्त व्यक्ति को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता - आयोग को सलाह एवं सहायता देने के लिए आयोग के साथ सहयुक्त व्यक्ति अपने निवास स्थान से, यथास्थिति, सम्मिलन के स्थान तक या आयोग के कार्यालय तक तथा वापसी के लिए उसके द्वारा की गई यात्रा के लिए सरकार के श्रेणी "क" के अधिकारियों

को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

7. आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी - आयोग का सचिव आयोग के प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा तथा आयोग के समस्त अन्य अधिकारी उसके अधीनस्थ होकर राज्य सरकार के नियमों से शासित होंगे।

8. वार्षिक रिपोर्ट - आयोग अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को दिए गए संरक्षण के बारे में अन्वेषण करेगा तथा राज्य सरकार को अपने कार्यकलापों पर परिशिष्ट "ख" में दिए गए प्रारूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन भेजेगा। यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष समाप्ति के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

9. लेखाओं का वार्षिक विवरण - आयोग लेखाओं का एक वार्षिक विवरण परिशिष्ट "ग" में दिए गए प्रारूप में सरकार को प्रस्तुत करेगा। यह विवरण वित्तीय वर्ष समाप्ति के एक माह के अंदर प्रस्तुत किया जायेगा।

परिशिष्ट "क"

(देखिए नियम 4 तथा 5)

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्राप्त वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधायें

अध्यक्ष का स्तर	वेतन	सत्कार भत्ता	दैनिक भत्ता	यात्रा/दैनिक भत्ता	वाहन	वाहन चालक	पेट्रोल सीमा प्रतिमाह (लीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आयोग के अध्यक्ष	रु. 1250/- प्रतिमाह	रु. 1250/- प्रतिमाह	रु. 100/-	रु. 51/- (राज्य के भीतर) रु. 60/- (राज्य के बाहर)	एक	एक	250
आयोग के सदस्य	रु. 1250/- प्रतिमाह	रु. 750/- प्रतिमाह	रु. 50/-	--तदैव--	एक	एक	200

उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त अध्यक्ष को रुपये 4,000/- प्रतिमाह तथा सदस्य को रुपये 3,000/- प्रतिमाह तक के किराए के मकान संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराए जा सकेंगे। यदि इस सीमा से अधिक के किराए के मकान लिए जाते हैं तो सीमा से ऊपर की राशि संबंधित अध्यक्ष/सदस्य द्वारा वहन की जावेगी।

यात्रा सुविधा	चिकित्सा सुविधा	निजी स्टाफ	दूरभाष	दूरभाष व्यय सीमा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
वायुयान/रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी	विधायक होने की स्थिति में विधायक के अनुरूप अन्यथा अ.भा. सेवाओं के अनुरूप	निज सचिव-एक निज सहायक-एक निम्न श्रे.लि.-एक भृत्य-दो	कार्यालय-एक निवास-एक	किराए को छोड़कर रुपये 5000/- दो माही (प्रत्येक दूरभाष के लिए)
--तदैव--	--तदैव--	--तदैव--	--तदैव--	--तदैव--

परिशिष्ट ''ख''
(कृपया नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप
वित्तीय वर्ष .... की वार्षिक रिपोर्ट

1. आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा एवं कृत्य,
2. आयोग की बैठकें,
3. अनुसूचित जनजातियों को संविधान एवं अन्य विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हितप्रहरी के रूप में आयोग द्वारा किए गए कार्यों का विवरण,
4. जनजातियों को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में सम्मिलित करने के लिए आयोग की सिफारिशें,
5. अनसूचित जातियों के कल्याण के लिए चल रहे कार्यक्रमों के संबंध में समीक्षा एवं सिफारिशें,
6. लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह,
7. आयोग को प्राप्त शिकायतें,
8. आयोग का अध्ययन दौरा,
9. आयोग की समस्याएं,
10. अन्य,

परिशिष्ट ''ग''
(नियम 9 देखिए)

अनुसूचित जनजाति आयोग का वार्षिक लेखे का विवरण
वित्तीय वर्ष ....

मद का नाम	बजट आवंटन	वास्तविक व्यय
(1)	(2)	(3)
अधिकारियों का वेतन		
कर्मचारियों का वेतन		
महंगाई भत्ता		
अंतरिम राहत		
अन्य भत्ते		
चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता		

त्यौहार अग्रिम (नेट) वास्तविक

अनाज अग्रिम (नेट) वास्तविक

योग वेतन

मजदूरी

यात्रा व्यय

कार्यालय व्यय

डाक एवं तार

दूरभाष

फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण

वर्दियां

पुस्तकें/पत्रिकायें

बिजली एवं जल प्रभार

लेखन सामग्री

अन्य आकस्मिक व्यय

योग कार्यालय व्यय

विज्ञापन एवं प्रचार

वाहन (i) मरम्मत

(ii) पेट्रोल/डीजल

अन्य प्रभार

कुल योग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
धीरेन्द्र शर्मा, अपर सचिव

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 1997

क्र. एफ. 23-35-95-पच्चीस-5- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 अक्टूबर 1997 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
धीरेन्द्र शर्मा, अपर सचिव

Bhopal, the 28th October 1997

No. F. 23-35-95-XXV-5, - In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Jan Jati Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 24 of 1995) the State

डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू.पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम.पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 95] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 मार्च 1996-फाल्गुन 24, शके 1917

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 1996

क्र. एफ. 23-35-95-5-पच्चीस - मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 की धारा (1), उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, दिनांक 22 फरवरी 1996 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको कि उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह यादव, सचिव